Additional. Attachment 2.2

पत्रावली सं०...... 501 सी०
...... (145)
(17)

एस०सी०एस०पी०
संख्याः– 873 / III(2)/08–52(एम०एल०ए०)/08

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

प्राप्ति सं० 1512
फा० सं० ...... 12 AC
दिनांक 8-4-09

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 07 मार्च, 2009।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2008–09 में अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत जनपद नैनीताल के विभिन्न कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता कुमायूँ क्षेत्र लो०नि०वि० अल्मोड़ा द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये 03 कार्यों के रू0 735.00 लाख की लागत के आगणन पर टी.ए.सी. वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी रू0 735.00 लाख (रूपये सात करोड़ पैंतीस लाख मात्र) की लागत के आगणन की उनके सम्मुख अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख कॉलम–06 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 0.75 लाख (रू0 पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008–09 में व्यय करने की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरियता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारंभ किया जाय।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व शासनादेश सं0: 4042/III(2)/08–24बजट/08 दिनांक 11 दिसम्बर, 2008 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

RNo 1512) 12 AC dt 21-5-09
प्रति० सहा० अभि० (III)/(II) को सूचनार्थ व आ/कार्य हेतु
प्रति (खण्डीय कार्या० अभि० (प्र)
प्रति खण्डीय कार्यालय

Photo copy Attested
1/4/09

Add. Attachment-2.2

(10)

5. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियम ार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते ; एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पा कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्व ा के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा क्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया ाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाय।

10. यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा न्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस ानादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पि कर दी जायेगी।

11. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियम तथा अन्य स्थायी आदेशों के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीव की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आग ों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधि री की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक-31.0 009 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय उत्तराखण्ड अधि से नियमावली 2008 नियमों का भी अनुपालन किया जाय।

12. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तु कर दिया जाय। उक्त विवरण प्रस्तुत किये जाने के बाद ही आगामी किस्त अवमुक्त की गेगी।

13. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से र रदायी होंगे।

14. इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-09 में समाज कल्य विभाग के अनुदान सं0-30-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परि -04 जिला तथा अन्य सड़कें- आयोजनागत-800-अन्य व्यय-02 अनुसूचित जातियों के स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाल ाायेगा ।

Photo Copy Attested

AE

सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०

Add. Attachment - 2.2

(19)

6. यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या– 136/XXVII/(2)/2008 दिनांक 01 मार्च, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या :– 873 (1)/III(2)/08–52(एम0एल0ए0)/08, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी जनपद नैनीताल।
4. मुख्य अभियन्ता, कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., अल्मोड़ा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग 2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त लो0नि0वि0 नैनीताल।
9. लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव

Photo Copy
Attested.
AE

सहायक अभियन्ता ... निर्माण खण्ड, लो0 नि0 वि0 नैनीताल।

Add. Attachment 2.2

शा०सं० सं: 873/III(2)/09-52(एम०एल०ए०)/08 दिनांक: 07 मार्च, 2009 का संलग्नक

क्र०सं०	कार्य का नाम	लम्बाई (कि०मी० में)	लागत (लाख रू० में)	टी०ए०सी० वित्त द्वारा अनुमोदित (लाख रू० में)	व्यय की स्वीकृति
01	02	03	04	05	06
01	जनपद नैनीताल में घोड़ियाहल्यों से घोड़ियाटापू अम्बेडकर ग्राम रिखोली तक मोटर मार्ग का निर्माण	9.00	315.00	315.00	0.25
02	जनपद नैनीताल में ग्राम उलगौर से अम्बेडकर ग्राम हरिनगर सुवा ब्लाक तक मोटर मार्ग का निर्माण	6.00	210.00	210.00	0.25
03	जनपद नैनीताल में जिनोली तडी से सकदीना तक मोटर मार्ग का निर्माण	6.00	210.00	210.00	0.25
		21.00	735.00	735.00	0.75

(रू0 पचहत्तर हजार मात्र)

Photo copy attested

(प्रदीप सिंह रावत)
उपसचिव

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
मुख्य अभियन्ता स्तर-I
लोक निर्माण विभाग
देहरादून

मुख्य अभियन्ता स्तर-I
लोक निर्माण विभाग
देहरादून

मुख्य अभियन्ता,
कु० क्षे०, लोक निर्माण विभाग,
अल्मोड़ा।

कु० क्षे०,